छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 544 प्रकरण क्रमांक –**SM-EXP-2025-03177**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''जैनम पार्क'', प्रमोटर–जैनम बिल्डर्स, द्वारा–श्री दिनेश रामपुरिया, पता–मकान नं.–11, रामपुरिया मेंशन, डूंगाजी कॉलोनी, जी.ई.रोड, जिला–रायपुर (छ.ग)

प्रोजेक्ट–''जैनम पार्क'' पता–टिकरापारा, जिला–रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
15/04/2026	– प्रकरण प्रस्तुत। – रजिस्ट्रार, छ..ग द्वारा प्रतिवेदन दिनाँक 17.10.2025 के अनुसार यह पाया गया है कि भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा–5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट ''जैनम पार्क'' पंजीयन क्रमांक–**PCGRERA050618000044** के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनाँक 05.06.2018 से पंजीकृत कराया गया है। उक्त प्रोजेक्ट की रेरा पंजीयन की वैधता दिनाँक 24.12.2025 को समाप्त हो चुकी है। प्रमोटर द्वारा उक्त प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–3 अनुसार प्रोजेक्ट अवैध प्रोजेक्ट की श्रेणी में आ चुका है। उक्त कृत्य भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–3 के उपबंधों का उल्लंघन है, जिसके लिये अधिनियम की धारा–59 के अधीन प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत तक शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है। संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के उक्त प्रावधानों का अवहेलना व उल्लंघन करते हुये उक्त प्रोजेक्ट की वैधता समाप्त होने के बावजूद प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरूद्ध दिनाँक 12.11.2025 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। – प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट पंजीयन की वैधता तिथि 24.12.2025 को समाप्त हो गई है। अनावेदक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से दिनाँक 24.12.2025 को प्रोजेक्ट का भवन पूर्णता सह अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। प्राधिकरण द्वारा अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट का त्रैमासिक अद्यतन करते हुये कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 544 प्रकरण क्रमांक –**SM-EXP-2025-03177**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''जैनम पार्क'', प्रमोटर–जैनम बिल्डर्स, द्वारा–श्री दिनेश रामपुरिया, पता–मकान नं.–11, रामपुरिया मेंशन, डूंगाजी कॉलोनी, जी.ई.रोड, जिला–रायपुर (छ.ग)

प्रोजेक्ट–''जैनम पार्क'' पता–टिकरापारा, जिला–रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	– आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही/– (धनंजय देवांगन) सदस्य सही/– (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	